



79



**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**

**2-3870-210**

प्र.कं.

/2016 पुनरीक्षण

नारायण पुत्र रामचरन उर्फ रामचन्द्र  
अहिरवार निवासी ग्राम बसारी तहसील  
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

~~मुकेश भागवत काशी~~  
15-11-16

~~स~~  
15-11-16

~~W3~~  
मुकेश भागवत  
15-11-16 (सर्वोकर)  
ग्वालियर

विरुद्ध

1. श्रीमती फूलवती बेबा रामचरन उर्फ रामचन्द्र निवासी ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर
2. श्यामबाई पुत्री रामचरन उर्फ रामचन्द्र पत्नी ललता अहिरवार निवासीग्राम ओटा पुरवा तह. राजनगर जिला छतरपुर
3. पार्वती पुत्री रामचरन उर्फ रामचन्द्र पत्नी भुमानीदीन अहिरवार निवासी ईशानगर तह. व जिला छतरपुर
4. माया पुत्री रामचरन उर्फ रामचन्द्रपत्नी खूबचन्द्र अहिरवार निवासी राजगढ तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 84/अपील/2015-16 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 25.10.2016 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश पत्रिका अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी- 3870-एक/16

जिला-छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
4-5-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर प्रकरण नोट प्रेस करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उनके अनुरोध में प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	